न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
79 / 2020 प्रा.पत्र / 2020	23.10.2020	24.07.2025

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन विक्रेता / प्रबन्धक मैसर्स कासलीवाल ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 15 जैन मोहल्ला माणक चौक मालपुरा जिला टोंक राज.। पिनकोड–304502

2–मैसर्स कासलीवाल ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक राज.। पिनकोड–304502

3–श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा निवासी 16 राज विहार आगरा रोड जामडोली जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं. 4, केशव विद्यापीठ के पास, आगरा रोड जामडोली जयपुर राज.। पिनकोड–302031

4–मैसर्स श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं. 4, केशव विद्यापीठ के पास, आगरा रोड जामडोली जयपुर राज.। पिनकोड–302031

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(v) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी सं. 1 श्री ओमप्रकाश जैन स्वयं
व निर्माता फर्म प्रतिनिधि श्री मोतीलाल शर्मा उप.।

दिनांक 24/7/25

:–<u>निर्णय</u>–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.08.2020 को समय 01:02 पी.एम. पर मैसर्स कासलीवाल ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स कासलीवाल ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता / प्रबन्धक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, कन्फैक्शनरी बिस्किट, मसाले, नमकीन आदि व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ साथ **नमकीन भुजिया अंजनी ब्राण्ड (Namkeen Bhujia Anjani Brand)** के 400–400 ग्राम के लगभग 30 पैकेट आम जनता के विक्रय हेतु रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व

प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **नमकीन भुजिया अंजनी ब्राण्ड (Namkeen Bhujia Anjani Brand)** जिसकी एक्सपायरी दिनांक 13 अप्रैल 2020 थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 400–400 ग्राम के 4 नग मूल पैक हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **नमकीन भुजिया अंजनी ब्राण्ड (Namkeen Bhujia Anjani Brand)** 400–400 ग्राम पैक के 4 नग मूल पैक में से ज्यों का त्यों 1–1 पैक के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–2571 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2571 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन विक्रेता/प्रबन्धक मैसर्स कासलीवाल ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं. 4, केशव विद्यापीठ के पास, आगरा रोड जामडोली जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3175 दिनांक 16.09.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल.एस./1168/एक्ट/2020/1240 दिनांक 27.08.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **नमकीन भुजिया अंजनी ब्राण्ड (Namkeen Bhujia Anjani Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 स्वयं तथा अप्रार्थी सं. 3 के प्रतिनिधि श्री मोतीलाल शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन भुजिया अंजनी ब्राण्ड (Namkeen Bhujia Anjani Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन भुजिया अंजनी ब्राण्ड (Namkeen Bhujia Anjani Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक